

फर्द अहकाम




बाबूलाल बनाम गोपाल

2019/00041

नाम न्यायालय

केस संख्या 25/2019

अन्तर्गत द्वारा 53, 188 RT Act.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01/7/19	<p>गोपाल प्रसाद सेनी वकील ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट है सुनी है। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर है। द्वारा 80(2)-CPC का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है प्रतिकादीकरण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 31/7/19 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर) </p>	
	30/7/19	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थी/वादी के प्राप्ति पर लक्ष्य की गई। प्रार्थी/वादी ने प्राप्ति विज्ञा का पेशा का रिपेडन किया कि पक्षकारों मध्य आपसी सहमति से शरीनामा ले गया है वाद को आगे नहीं चलाना चाहता। विज्ञा करने की अनुमति देवे जाते बालक कम किया। वादी की पहचान उसके अधिकृत की गोपाल प्रसाद सेनी ने की है। वादी को वाद विज्ञा करने की अनुमति दी जाती है विज्ञा के आधार पर पत्रावली शरीनामा की जागी है पत्रावली फेरल सुमा टोका दर्ज नम्बर से कब ले लया काशिकल दस्तखत है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर) </p>	<p>बाबूलाल यादव</p> <p style="text-align: right;">  30-7-19 </p>

